249

356

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प

रीवा, संभाग रीवा, (म0प्र0)

R-4244-II/13

विनोद शुक्ला एड. पेश/28-9-13

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

585 / 28.9.13

1:– किशोरीलाल तनय रामदास ढीमर आयु 56 वर्ष, पेशा–कृषि, निवासी–दिदौंध तहसील–रघुराजनगर,जिला–सतना,म0प्र0

2:– रमाचरण तनय रामदास ढीमर पेशा–कृषि, निवासी–दिदौंध तहसील रघुराजनगर,जिला–सतना,म0प्र0——————**निगराकारगण**

बनाम्

1:– अरविंद कुमार सिंह तनय श्री शिवधारी सिंह, निवासी–दिदौंध तहसील रघुराजनगर,जिला–सतना,म0प्र0

2:– महेन्द्र सिह तनय श्री शिवधारी सिंह, निवासी–दिदौंध तहसील रघुराजनगर,जिला–सतना,म0प्र0——————**गैरनिगराकारगण**

निगरानी अंतर्गत धारा–50म0प्र0भू0रां0सं0

निगरानी खिलाफ आदेश अपर कलेक्टर जिला–सतना,म0प्र0जरिए राजस्व प्रकरण क्रमांक–169/अपील/2011–12 आदेश दिनांक–31.07.2013

मान्यवर,

निगराकारगण निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :–

1:– यह कि मान्नीय न्यायालय अपर कलेक्टर सतना जिला–सतना, म0प्र0 इसे आंगे चलकर अधीनस्थ न्यायालय के नाम से संबोधित किया जायेगा खिलाफ कानून एवं वाकयात के है।

—2—

रामचरण रैकवार   किशोरीलाल

XXXIX(a)-BR(H)-11

249

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–4244–II / 13 जिला–सतना

किशोरीलाल / अरविन्द कुमार

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 169 / अपील / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	